



नगर निगम, गोरखपुर

निविदा सूचना

नगर निगम गोरखपुर द्वारा पथ प्रकाश विभाग में पथ प्रकाश विस्तार कार्य कराये जाने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपर नगर आयुक्त, पथ प्रकाश कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गोरखपुर को होगा।

निविदा डालने तिथि व समय

क्र. सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा फार्म की बिक्री तिथि व समय	दिनांक 24/01/2026 से 29/01/2026
2	निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 30/01/2026, 3:00 बजे तक
3	निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 31/01/2026, 4:00 बजे

कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	आगणन धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	वार्ड नं. 44 अन्तर्गत तकियाघाट पर प्राकृतिक विधि से जल शोधन कार्यालय के आस-पास व कार्यालय जाने वाले मार्ग पर पथ प्रकाश विस्तार कार्य कराये जाने हेतु।	8,15,765.69	81500.00	965.00

नोट:- इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से नगर निगम गोरखपुर की वेबसाइट www.gorakhpurnagarnigam.up.gov.in / नोटिस बोर्ड पर देखते रहें क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता (प0प्र0)
नगर निगम गोरखपुर,।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर,।



नगर निगम, गोरखपुर

पथ प्रकाश विभाग द्वारा वार्ड नं. 44 अन्तर्गत तकियाघाट पर प्राकृतिक विधि से जल शोधन कार्यालय के आस-पास व कार्यालय जाने वाले मार्ग पर पथ प्रकाश विस्तार कार्य कराये जाने का विस्तृत नियम एवं शर्तें—

1. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र शुल्क रूपया 965.00 (With GST) अदा कर (जो वापस नहीं होगी) निविदा प्रकाशित होने के दिनांक.29.11.2026..... से दिनांक.29.11.2026.. तक ही किसी भी कार्य दिवस में पथ प्रकाश कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. निविदा के साथ प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश), नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बंधक रखते हुए रु. 81500.00 का धरोहर के रूप में NSC/FDR जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
4. तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तकनीकी रूप से अर्ह एवं निर्धारित सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करने वाली सेवा प्रदाता फर्मों/गैर सरकारी संगठनों/समितियों/संस्थानों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेगा।
5. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा-स्थान हस्ताक्षरित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव के साथ निविदा मूल्य जमा करने सम्बन्धी मूल रसीद एवं निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - a. धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य जमा करने की सम्बन्धी मूल रसीद।
 - b. प्रत्येक बिड्स के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता एवं किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर सरकारी संस्था में ब्लैक-लिस्टेड नहीं है के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - c. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - d. पैन कार्ड एवं अद्यतन 3 वर्ष का ITR
 - e. जिलाधिकारी कार्यालय से जारी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र।
 - f. अद्यतन "क" श्रेणी विद्युत लाईसेन्स प्रमाण - पत्र।
 - g. कार्य से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र।
 - h. उक्त कार्य में लगाये गये लाईट की 05 वर्ष की गारंटी देना अनिवार्य होगा।
7. तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।
8. निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
9. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नगर निगम गोरखपुर की वेबसाइट www.gorakhpurnagarnigam.up.gov.in /नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की संशोधन के सम्बन्ध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑन लाईन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
10. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा-स्थान हस्ताक्षित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
11. नियम एवं शर्तों सहित अन्य प्रपत्र पर निविदादाता का सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

12. यदि ठेकेदार/फर्म/संस्थान द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र जांच के समय असत्य पाया जाता है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म/संस्थान के प्रति अभियोग पंजीकृत करते हुए ब्लैक लिस्ट कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
13. सशर्त एवं एकल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में एल.ई.डी. लाईट AAA कैटेगरी की लगाना अनिवार्य होगा तथा पोलो पर नगर निगम गोरखपुर इम्बोसिंग कराना अनिवार्य होगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह कार्य को किसी अन्य से करा लें तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जप्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
16. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा, किसी भी ववाद के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर आयुक्त का होगा।



सहायक अभियन्ता,
पथ प्रकाश
नगर निगम गोरखपुर।



अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर।